न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ दिनांक

प्रार्थी :-
1.घमण्डाराम पुत्र लालाराम
जाति जाट
निवासी गोरसियों का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगणः-
1.डूंगराराम पुत्र जसाराम 2.खेराजराम पुत्र चेनाराम 3.लाभूराम 4.केशराराम 5.तिलाराम पि. हनुमानराम, जाति जाट,
निवासी गोरसियों का तला, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 185/2018 दिनांक : **22.12.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आंटिया के मौजा गोरसियों का तला के खेत खसरा सं. 307/103 रकबा 22.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन — मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन O/C
उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2812 to 15 दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी घमंडाराम
3. विप्रार्थीगण डूंगराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:36:58 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम RAS-II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन O/C
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन